

क्रमांक एफ 73-33/2013/20-3

प्रति.

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
ग्रीष्म पिहार, नई दिल्ली।

शियर :- अशोकपुरीय शिक्षण संस्था विदिशा इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, शिक्षण संस्था, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश को सी.वी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

-----0000-----

शज्ज्य शासन द्वारा विवरणित संस्था द्वारा आयोदन पत्र एवं शम्पथ पत्र के आधार पर संस्था को सी.वी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु यह अनापति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

(1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य थोड़े से सम्बद्धता मिलने के उपरान्त नई संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संघटनालय द्वारा उत्तम-समय पर शिक्षा को प्रवेश एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(2) संस्था की प्रबंध कार्यालयीकरण में जिला शिक्षा अधिकारी, विदिशा (मध्य प्रदेश) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।

(3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चात्मन न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्रन्त शवेन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस रखिये में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-प्रमाण पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम ऐ
तथा आदेशानुसार

Director
Vidisha International
Public School Sukha Semra
Dist. Vidisha (M.P.)

(आर.पी. छोर्कर)
उत्तराधिकारी
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

-----2-----

प्रियकारी

11/2/11

भोपाल, दिनांक 28/6/13

21

पृष्ठा. क्रमांक एफ 73-33/2013/20-3

प्रतिलिपि :-

1- राधिका, अशोकपुरीय शिक्षण संस्था विदिशा इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, शिक्षण संस्था, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश को सी.वी.एस.ई. से सम्बद्धता/मान्यता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र दिए गए हैं।

(1) संस्था सी.वी.एस.ई. को अनुलम नापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।

(2) संस्था द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आयोदन पत्र या शम्पथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पारे जाने पर या उत्तराधिकारी नहीं करने पर अथवा संज्ञ शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या शासन विकाशालय द्वारा सही पारे जाने हों तो राज्य शासन द्वारा जारी अनापति प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

2- आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, मध्य प्रदेश।
3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
4- ऑर्डर दुकु।

28/6/13

उप सचिव

न्यायप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Principal
Vidisha International Public School
Sukha Semra